



सेवा में,

1. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकुला।
2. सभी उपायुक्त, हरियाणा राज्य।
3. आयुक्त, सभी नगर निगम, हरियाणा राज्य।
4. कार्यकारी अधिकारी/सचिव, सभी नगरपरिषदें/नगरपालिकाएं, हरियाणा राज्य।


यादी क्रमांक:- डी.यू.एल.बी./स्था./3ई/2016/ 5457-551
दिनांक 25/1/16

विषय:-

Date of next increment in the revised p-pay structure under rule 10 of Haryana Civil Service (Revised Pay) Rules, 2008 and under rule 20 of Haryana Civil Services (Assured Career Progression) Rules, 2008.

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

2. इस सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि सरकार द्वारा वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 6/126/2013/4 पी0आर0 (एफ0डी0) दिनांक 7-1-2015 द्वारा जारी की गई हिदायतें राज्य के नगर निगमों/नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं पर समान रूप से लागू करने का निर्णय लिया है।


अतिरिक्त सचिव,
कृते प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग



✓
CC:
Nodal officer, webportal.